



**The Bihar State Universities (Amendment and Validation) Act,
2012**

Act 22 of 2012

Keyword(s):

University, Higher Education, University Grants Commission

Amendments appended: 14 of 2013, 17 of 2013, 16 of 2015

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 पौष 1934 (श10)
(सं0 पटना 695) पटना, वृहस्पतिवार, 27 दिसम्बर 2012

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

27 दिसम्बर 2012

सं0 एल0जी0-1-18/2012/437/लेज:।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर महामहिम राज्यपाल दिनांक 25 दिसम्बर, 2012 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2012

[बिहार अधिनियम 22, 2012]

बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 23, 1976) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।
प्रस्तावना :-चूँकि, बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू०जी०सी०) द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप बनाया जाना अत्यंत आवश्यक है,

और, चूँकि, बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 के कतिपय प्रावधान में विसंगतियाँ हैं जिस कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत विभिन्न विनियम/निदेश/अनुदेश के अनुरूप किया जाना आवश्यक है। भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश/रेगुलेशन के अनुरूप इस अधिनियम में शिक्षक की परिभाषा को भी परिभाषित करना आवश्यक है।

और, चूँकि, राज्य सरकार के पत्रांक 1216, दिनांक 18.09.75 के द्वारा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू०जी०सी०) की अनुशंसा के आलोक में प्रयोग-प्रदर्शक का पद समाप्त होने की सूचना देते हुए राज्य सरकार के निम्नलिखित निर्णय को राज्य के विश्वविद्यालयों को संसूचित किया गया है कि दिनांक 01.01.1973

के पूर्व स्वीकृत पदों पर नियुक्त प्रयोग प्रदर्शक पूर्ववत् बने रहेंगे, परन्तु इन प्रयोग-प्रदर्शकों के पद की सेवा-निवृत्ति या अन्य किसी कारण से रिक्ति होने की स्थिति में, भरा नहीं जायगा। दिनांक 01.01.1973 के पूर्व सृजित पदों पर तिथि 18.09.1975 के पूर्व अस्थायी रूप में नियुक्त प्रयोग प्रदर्शकों की योग्यता आदि की जाँचकर उन्हें स्थायी नियुक्ति के योग्य पाये जाने पर उनके स्थायीकरण में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा सहमति प्राप्त किये जाने की आवश्यकता थी।

और, चूँकि, विभागीय पत्रांक 1789, दिनांक 26.08.1977 में राज्य सरकार के द्वारा मगध विश्वविद्यालय सहित राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों को सूचित किया गया था कि भारत सरकार की अनुशंसा पर प्रयोग प्रदर्शक का पद समाप्त कर दिया गया है, और उन पदों पर अब नियुक्ति नहीं करनी है। इस पत्र में भारत सरकार के निर्णय को निम्नरूप से उद्धरित किया गया था "The revised scale of Rs. 500-900 is for the existing demonstrator/Tutors only. In future demonstrator/Tutors shall not be appointed in the Universities and Colleges."

और, चूँकि, यू०जी०सी० रेगुलेशन 1991 शैक्षिक पद के लिए अर्हता निर्धारित करता है।

और, चूँकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सिर्फ त्रि-स्तरीय शैक्षिक पद, नामतः व्याख्याता, रीडर एवं प्राचार्य को मान्यता प्रदान करता है;

और, चूँकि, बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 में 'शिक्षक' की परिभाषा में स्पष्टता का अभाव है जिस कारण शिक्षक की योग्यता धारण नहीं करने वाले शिक्षकेत्तर कर्मियों को नियुक्ति की तिथि से 'शिक्षक' के रूप में परिभाषित किया जाने लगा है एवं अस्वीकृत पदों तथा स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर नियुक्त/ कार्यरत शिक्षकेत्तर कर्मियों की सेवा सामंजस का प्रश्न भी उठ खड़ा हुआ है, अतएव बिहार के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शैक्षणिक वातावरण के संवर्धन तथा शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अपेक्षाओं के अनुरूप बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 के कतिपय विद्यमान संगत प्रावधानों को संशोधित किया जाना अनिवार्य है,

और, चूँकि, माननीय पटना उच्च न्यायालय के राँची खण्डपीठ के द्वारा एल०पी०ए० संख्या-274/1997 (आर) में एकलपीठ के न्यायादेश सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-2176/1996(आर) दिनांक 03.04.1997 को प्रयोगशाला सहायक को शिक्षक के रूप में स्वीकार्य किये गये दावा को खारिज कर दिया है;

और, चूँकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या-4215-16/2002 दिनांक 22.07.2002 को खारिज करते हुए निर्णय दिया कि खण्डपीठ के आदेश में कोई गलती नहीं है। पीठ ने बिल्कुल ठीक ही अवलोकन किया है कि प्रयोगशाला कर्मियों को शिक्षक माने जाने के लिए सामान्य निदेश नहीं दिया जा सकता क्योंकि अर्हता एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्रत्येक वादी के मामले पर विचार करने के समय उनके द्वारा धारित योग्यता एवं तथ्यों की अलग से राज्य सरकार के द्वारा जाँचा जाना है। अतः खण्डपीठ के इस निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कोई त्रुटि नहीं मिलता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय किया कि प्रयोगशाला कर्मियों को शिक्षक घोषित नहीं किया जा सकता।

और, चूँकि, राज्य मंत्रिमंडल के निर्णयोपरान्त पत्रांक-1115 दिनांक 14.06.2006 निर्गत किया गया;

और, चूँकि, पत्रांक-1115 दिनांक 14.06.2006 में ज्ञापांक-1456 दिनांक 01.08.2006 के द्वारा परिवर्तन किया गया;

और, चूँकि, दिनांक 18.12.2008 को राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि इन कर्मियों को प्रयोग प्रदर्शक के रूप में पदनामित सिर्फ वेतनमान और भत्ते के लिए किया गया है न कि उन्हें शिक्षक के रूप में मान्य किये जाने हेतु;

और, चूँकि, माननीय पटना उच्च न्यायालय ने सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-1377/2010 दिनांक 21.09.2010 में कहा कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 के अन्तर्गत दिए गए शिक्षक के परिभाषा के अधीन पदनामित प्रयोग प्रदर्शक को शिक्षक माना गया है अतः वे सभी लाभ पाने के हकदार हैं;

और, चूँकि, एल०पी०ए० संख्या-981/2011 दिनांक 11.07.2011 के न्याय निर्णय में माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा तत्कालीन राँची खण्डपीठ के निर्णय के आलोक में राज्य सरकार के द्वारा दिनांक 14.06.2006 को निर्णय लिया गया कि स्नातक प्रयोगशाला सहायक/ कनीय प्रयोगशाला सहायक/ प्रयोगशाला प्रभारी/ प्रयोगशाला तकनीशियन/ तकनीकी सहायक इत्यादि जो अंगीभूत महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय के प्रयोगशाला में नियुक्त हों को पुर्ननामित प्रयोग प्रदर्शक माना जाय। उक्त

निर्णय में यह विशेष रूप से निर्णय किया गया था कि पुनर्नामित प्रयोग प्रदर्शक भी प्रयोग प्रदर्शक के पद पर दी जानेवाली सभी लाभ के हकदार होंगे।

और, चूँकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त LPA के आदेश के विरुद्ध दायर SLP(C) No.-CC- 1324/2012 को शुरू में ही निरस्त कर दिया।

और, चूँकि, “शिक्षक” की परिभाषा में अस्पष्टता एवं त्रुटि के कारण ही शिक्षकेतर पद का पुनर्पदनाम का प्रश्न उत्पन्न हुआ।

और, चूँकि, राज्य मंत्रिपरिषद् ने विधिक परामर्श और एल०पी०ए० न्यायालय के आदेश के आलोक में भूल सुधारने का निर्णय लिया और दिनांक 14.06.2006 को निर्गत पत्र तथा दिनांक 01.08.2006 को निर्गत उसके शुद्धि पत्र जिसके द्वारा प्रयोगशाला कर्मियों को प्रयोग प्रदर्शक के रूप में पदनामित करने के निर्णय को राजकीय संकल्प संख्या-608 दिनांक 10.04. 2012 के द्वारा वापस लेने का निर्णय लिया गया।

और, चूँकि, शिक्षक को परिभाषित करने में संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि शिक्षकेतर प्रयोगशाला कर्मी जो प्रयोग प्रदर्शक के रूप में पदनामित हैं को पुनर्पदनामित करने की तिथि से शिक्षक की श्रेणी से एल०पी०ए० संख्या-981/2011 और विधि परामर्श के आलोक में अलग रखा जा सके क्योंकि यू०जी०सी० और भारत सरकार प्रयोग प्रदर्शक को शिक्षक के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करते हैं।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : -

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ 1-(1) यह अधिनियम बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2012 कहा जा सकेगा।

(2) यह अधिनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 1991 के निर्गमन की तिथि यथा 5 अक्टूबर, 1991 के प्रभाव से प्रवृत्त समझा जायगा।

2. बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा-2 में संशोधन 1- धारा-2 के खण्ड (ब) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

“(ब) इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम, अध्यादेश, नियम या न्यायालय के किसी निर्णय या डिक्री में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी “शिक्षक” से अभिप्रेत है केवल विश्वविद्यालय प्राचार्य/ प्राचार्य, रीडर तथा व्याख्याता के पद एवं यू०जी०सी० के द्वारा समय-समय पर निर्गत विनियमों में शिक्षक की श्रेणी में स्वीकार किये गये पद;

परन्तु, अधिनियम की धारा-2(ब) में उक्त प्रतिस्थापन के होते हुए भी तिथि 01.01.1973 के पूर्व स्वीकृत पदों पर तिथि 18.09.1975 तक बिहार लोक सेवा आयोग या बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग की अनुशंसा/सहमति से कार्यरत ‘प्रयोग प्रदर्शक’ इस प्रतिस्थापन से प्रभावित नहीं होंगे।

3. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव 1- अन्य अधिनियम, अध्यादेश, विनिश्च नियम, किसी न्यायालय के निर्णय में किसी प्रतिकूल बात के अंतर्विष्ट होने पर भी, इस अधिनियम के प्रावधानों का अध्यारोही प्रभाव होगा।

27 दिसम्बर 2012

सं० एल०जी०-1-18/2012/438/लेजः।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 25 दिसम्बर 2012 को अनुमत **बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन एवं विधि मान्यकरण) अधिनियम, 2012** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव।

Bihar State Universities (Amendment and Validation) Act, 2012**[Bihar Act 22, 2012]**

AN

ACT

To amend the Bihar State Universities Act, 1976 (Bihar Act 23, 1976)

Preamble.—Whereas, it is most expedient to make the University Act consistent with and in conformity with standards of University Grants Commission (U.G.C.);

And, whereas, anomalies exist in the provisions of The Bihar State Universities Act, 1976 so amendment is essential for bringing the Act on the line of different regulations/ direction/ instruction of UGC and define teacher in conformity with the definition incorporated in various regulations of UGC and orders issued by Govt. of India.

And, whereas, vide government letter no. 1216 dated 18-09-75 all the Vice-Chancellors of the State have been informed of the abolition of the post of Demonstrator in the light of UGC recommendation. Decision of the State Govt. has also been communicated to the Universities that the Demonstrators appointed on the sanctioned post before 01-01-1973 shall continue but the post shall not be filled up in case of vacancy caused due to retirement or death of the said post holders. On the post sanctioned before 01-01-1973 and appointed temporarily by 18-09-1975, such temporary demonstrators were to be examined in respect of qualification and on finding them fit for permanent appointment concurrence was to be obtained from Bihar State University Service Commission.

And, whereas, all university including Magadh University had been informed vide letter no. 1789 dated 26-08-1977 that on the recommendation of Govt. of India, the post of Demonstrator had been abolished and that no appointment was to be made on such posts. In this letter, Govt. of India decision was quoted as follows :- *"The revised scale of Rs. 500-900 is for the existing Demonstrator/Tutors only. In future Demonstrator/Tutors shall not be appointed in the Universities and Colleges"*,

And, whereas, the UGC Regulation, 1991 prescribed qualification for appointment to teaching post.

And, whereas, the UGC recognises only three tier teaching post namely Lecturer, Reader and Professor.

And, whereas, definition of Teacher under the Bihar State Universities Act, 1976 is not clear, due to which non teaching employees not holding the qualification of a teacher have been defined as a Teacher from the date of appointment and the question of adjustment of service of non-teaching employees appointed/ working against Unsanctioned Post on the basis of Staffing Pattern has arisen. Therefore for promotion of educational environment and for attaining academic excellence in these institutions as per the expectation of U.G.C., it is essential to amend the existing relevant provisions of The Bihar State Universities Act, 1976.

And, whereas, the Division Bench of Patna High Court, Ranchi Bench in LPA No. 274/1997 (R) while partly allowing the appeal set aside the direction of the Single Judge dated 3.4.1997 in CWJC No. 2176/1996(R) to treat the Lab. Assistant as teacher.

And, whereas, the apex court while dismissing Civil Appeal No. 4215-16/2002 dated 22.7.2002 held that the order of the Division Bench cannot be faulted with apart from the fact that no such specific prayer was made. The Bench observed that such general direction could not be issued as the qualifications and other relevant facts in respect of each Lab. Assistants may have to be examined by the State Government while considering their representation. The Hon'ble apex court did not find merit in the challenge made against that part of the order of the Division Bench. The apex court held that Lab personnel can't be declared Teacher.

And, whereas, after the Cabinet decision letter No. 1115 dated 14.6.2006 was issued for re-designation of Lab. Personnel.

And, whereas, modification in the letter no. 1115 was made vide memo no. 1456 dated 1.8.2006 without cabinet decision.

And, whereas, on 18.12.2008 the State Govt. clarified that re-designation as Demonstrator was issued only for pay scale and allowance and not to convert them as teacher.

And, whereas, on 21.9.2010 the Hon'ble Patna High Court in CWJC No. 1377/2010 held that re-designated Demonstrators acquired the status of teacher in terms of the definition of teacher under the Bihar State Universities Act, 1976 and as such entitled to all benefits.

And, whereas, on appeal LPA Court in LPA No. 981/2011 dated 11.7.2011 held that inspite of the decision of the Division Bench of the then Ranchi Bench of the Patna High Court confirmed by the Hon'ble Supreme Court, the Government of Bihar in its wisdom took a decision on 14.6.2006, to re-designate the graduate Laboratory Assistant/Junior Laboratory Assistant/Laboratory Incharge/ Lab. Technician/Technical Assistant, etc. appointed in the Laboratory of the constituent colleges as Demonstrators. Under the said decision, it was specifically decided that since re-designation as Demonstrators the concerned employees will be entitled to all the benefits of the post of Demonstrator.

And, whereas, the apex court dismissed SLP(C) No. CC-1324/2012 filed against the order of said LPA in limine.

And, whereas, redesignation of non teaching posts has arisen on account of vagueness and flaw in the definition of 'teacher'.

And, whereas, the State Cabinet decided to rectify mistake in the light of legal opinion and the observation of the LPA court and decided to withdraw the previous decision of re-designation of Lab. Personnel as Demonstrator with effect from the date of issuance of letter of re-designation dated 14.6.2006 and its modification dated 1.8.2006 and Government resolution no. 608 dated 10.4.2012 was issued.

And, whereas, it is necessary to amend the definition of the teacher to exclude the non-teaching employee Lab. Personnel re-designated Demonstrator with effect from the date of re-designation, as UGC and Central Govt. do not recognise Demonstrator as teaching employee in the context of observation of the LPA court in LPA No. 981 of 2011 as well as Legal Advice.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty third year of the Republic of India as follows :-

1. **Short title and Commencement** - (1) This Act may be called The Bihar State Universities (Amendment and Validation) Act, 2012.

(2) This Act shall be deemed to come into force from the date of issue of U.G.C. Regulation, 1991 i.e. with effect from 05 October, 1991.

2. **Amendment in Section-2 of the Bihar Act-23, 1976** - clause (v) of section-2 shall be substituted by the following :-

"(v) "Teacher" means person holding the post of only University Professor/ Professor, Reader, and Lecturer and such sanctioned posts in the teacher's grade on the basis of regulations issued by the U.G.C. from time to time;

Provided, that notwithstanding the said substitution in Section-2(v), the action taken in respect of working Demonstrators appointed before 18-09-1975 on the post sanctioned before 01-01-1973 with the concurrence of Bihar Public Service Commission or Bihar State University Service Commission shall not be affected by this substitution.

3. **Overriding effect of the Act** - Notwithstanding anything contained contrary in this Act or any other Act, Ordinances, Rules or decision or judgment or decree of any court the provisions of this Act shall have overriding effect.

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 695-571+400-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 श्रावण 1935 (श0)
(सं0 पटना 654) पटना, मंगलवार, 13 अगस्त 2013

विधि विभाग

अधिसूचना

13 अगस्त 2013

सं० एल0जी0-1-19/2013/लेज:154—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 10 अगस्त 2013 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
उज्जवल कुमार दूबे,
सरकार के संयुक्त सचिव।

[बिहार अधिनियम 14, 2013]

बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 23, 1976) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

प्रस्तावना -चूँकि, राज्य के शैक्षणिक हित में राज्य में कुलपति एवं प्रति-कुलपति के पद पर नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित समस्त मानक प्रावधानों के अनुकूल; और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत विभिन्न विनियमों में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है,

और, चूँकि, कुलपति और प्रतिकुलपति की नियुक्ति के मामले में पारदर्शिता और सामंजस्य का होना आवश्यक है,

और, चूँकि, पूर्व में कुलपति और प्रतिकुलपति की नियुक्ति बिना राज्य सरकार के साथ प्रभावी परामर्श के किया गया है,

और, चूँकि, विभिन्न अधिसूचनाओं के द्वारा नियुक्त कुलपति और प्रतिकुलपति के कामकाज पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गयी है,

और, चूँकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम 2010 तथा यथा अद्यतन संशोधित विनियम 2013 में कुलपति का चयन सर्च कमिटी के माध्यम से किये जाने का उल्लेख किया गया है,

और, चूँकि, नियमित कुलपति और प्रतिकुलपति की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सन्निध्य और न्यूनतम मानकों में उत्कृष्टता प्रदान करते हुए शीघ्रतिशीघ्र किया जाना उच्च शिक्षा के हित में समीचीन प्रतीत हो रहा है;

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो।

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** 1- (1) यह अधिनियम बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. **बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा-10 का संशोधन**-बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 (बिहार अधिनियम-23, 1976) की धारा-10 की उप-धारा-(1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायगा यथा :-

“(1) (i) सर्वोच्च दक्षता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत प्रतिबद्धता के सर्वोच्च व्यक्तियों को ही कुलपति के रूप में नियुक्ति किया जाएगा। कुलपति पद पर नियुक्ति किये जाने वाले व्यक्ति विख्यात शिक्षाविद, होने चाहिए, जिनके पास किसी भी विश्वविद्यालयी प्रणाली में प्रोफेसर के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव हो अथवा किसी भी प्रतिष्ठित शोध एवं/ अथवा अकादमिक प्रशासनिक संस्था में समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव हो।

(ii) कुलपति का चयन 3-5 प्रख्यात सदस्यों की नामसूची द्वारा किया जाएगा, जिसे एक सर्च-समिति द्वारा एक सार्वजनिक सूचना या नामांकन या एक टेलेंट सर्च प्रक्रिया या इन दोनों विधियों की प्रक्रिया के जरिये चिन्हित किया जाएगा। उपर्युक्त सर्च समिति के सदस्य, उच्च शिक्षा क्षेत्र के अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे तथा वे किसी भी रूप में संबद्ध विश्वविद्यालय से या उसके महाविद्यालयों से संबद्ध नहीं होंगे। सर्च समिति द्वारा अकादमिक उत्कृष्टता को उचित महत्व देते हुए देश-विदेशों में उच्च शिक्षा संबंधी अध्यापन कार्य की योग्यता तथा अकादमिक या प्रशासनिक शासन में पर्याप्त अनुभव को उचित महत्व दिया जाएगा तथा इसे लिखित रूप में पैनल सदस्यों की सूची के साथ कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जाएगा।

(iii) सर्च कमिटी का गठन निम्नलिखित रूप में होगा :-

(क) कुलाधिपति द्वारा नामित एक सदस्य, जो शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक प्रख्यात विद्वान या पद्म पुरस्कार से विभूषित शिक्षाविद होगा जो इसका अध्यक्ष होगा।

(ख) कुलाधिपति द्वारा सदस्य के रूप में नामित राष्ट्रीय ख्याति के संस्थान या राष्ट्रीय स्तर के संगठन यथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय

अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के निदेशक या प्रमुख या वैधानिक विश्वविद्यालय के कुलपति।

- (ग) राज्य सरकार के द्वारा एक विख्यात विद्यानुरागी को जिन्हें राज्य के उच्च शिक्षा की शैक्षणिक संरचना तथा उसकी समस्याओं की पूर्ण जानकारी हो, को सदस्य के रूप में नामित किया जायगा।”

3. **बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा-12 का संशोधन**— बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 (बिहार अधिनियम 23, 1976) की धारा-12 की उप-धारा-(1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा यथा :-

“(1) कुलपति की नियुक्ति के लिए यथा विहित रीति से ही, राज्य सरकार के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा प्रतिकुलपति नियुक्त किया जायगा।”

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दूबे,
सरकार के संयुक्त सचिव।

13 अगस्त 2013

सं० एल०जी०-1-19/2013/155/लेजः।— बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 10 अगस्त 2013 को अनुमत **बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दूबे,
सरकार के संयुक्त सचिव।

BIHAR STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 2013

[Bihar Act 14, 2013]

AN
ACT

TO AMEND THE BIHAR STATE UNIVERSITIES ACT, 1976

(Bihar Act 23,1976)

Preamble - WHEREAS, in the educational interest of the State it is most expedient to make the entire provisions of the appointment on the posts of Vice-Chancellor and Pro Vice-Chancellor in the Universities of the State in consonance with the prescribed standards of University Grants Commission; and in conformity with the provisions laid down in the various regulations issued by the University Grants Commission.

AND, WHEREAS, transparency and harmony in the matter of appointment of the Vice Chancellors and Pro Vice-Chancellor is essential;

AND, WHEREAS, in the past appointment of Vice Chancellors and Pro-Vice Chancellors have been made without effective consultation with the State Government.

AND, WHEREAS, the functioning of Vice Chancellor and Pro-Vice Chancellor appointed vide various notifications have been stayed by the Hon'ble Supreme Court.

AND, WHEREAS, selection of Vice Chancellors and Pro Vice-Chancellors through search committee has been envisaged in the University Grants Commission Regulation 2010 and as amended Regulation 2013.

AND, WHEREAS, it expedient in the interest of Higher Education that Regular Vice Chancellor and Pro-Vice Chancellor can be appointed at the earliest in accordance with the norms and standard of University Grants Commission;

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty fourth year of the Republic of India as follows: -

1. **Short title, extent and commencement**-(1) This Act may be called Bihar State Universities (Amendment) Act, 2013.

(2) It Shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once,

2. Amendment of section 10 of Bihar Act, 23 of 1976.- In the Bihar State Universities Act 1976 (Bihar Act 23, 1976) sub section (1) of Section-10 shall be substituted by the following, namely :-

“(1) (i) Persons of the highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment are to be appointed as Vice-Chancellors. The Vice-Chancellor to be appointed should be a distinguished academician, with a minimum of ten years of experience as Professor in a University system or ten years of experience in an equivalent position in a reputed research and / or academic administrative organization.

(ii) The selection of Vice-Chancellor should be through proper identification of a Panel of 3-5 names by a Search Committee through a public notification or nomination or a talent search process or in combination. The members of the above Search Committee shall be persons of eminence in the sphere of higher education and shall not be connected in any manner with the University concerned or its colleges. While preparing the panel, the search committee must give proper weightage to academic excellence, exposure to the higher education system in the country and abroad, and adequate experience in academic and administrative governance to be given in writing along with the panel to be submitted to the Chancellor.

(iii) Following shall be the constitution of the Search Committee.

(a) A member nominated by the Chancellor, who shall be an eminent Scholar / Academician of national repute or a recipient of Padma Award in the field of education and shall be the Chairman.

(b) The Director or Head of an institute or organization of national repute, such as, Indian Institute of Technology, Indian Institute of Science, Indian Space Research Organization, National Law University or National Research Laboratory or Vice-Chancellor of a statutory University nominated by the Chancellor as Member.

(c) A member nominated by the State Government who shall be an eminent Academician and have full knowledge of the academic structure and problems of higher education of the State.”

3. Amendment of section 12 of Bihar Act, 23 of 1976.- In the Bihar State Universities Act 1976 (Bihar Act 23, 1976) sub section (1) of Section 12 shall be substituted by the following namely :-

“(1) The Pro Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government in the same manner as prescribed for appointment of Vice-Chancellor.”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्जवल कुमार दूबे,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 654-571+400-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 श्रावण 1935 (श0)
(सं0 पटना 658) पटना, बुधवार, 14 अगस्त 2013

विधि विभाग

अधिसूचना

14 अगस्त 2013

सं0 एल0जी0-1-4/2013/लेज:157—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 11 अगस्त, 2013 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013

[बिहार अधिनियम 17, 2013]

बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 23, 1976) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

प्रस्तावना:—चूँकि, बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति की समस्त व्यवस्थाओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप बनाया जाना राज्य के शिक्षण हित में अत्यंत ही आवश्यक है,

और, चूँकि, बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 में शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत विभिन्न विनियमों में अंकित प्रावधानों के अनुरूप राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति किया जाना अनिवार्य है।

अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत रेगुलेशनों के अनुरूप अधिनियम में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ।—(1)** यह अधिनियम बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जा सकेगा।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
2. **बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा-2 का संशोधन।—**बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 23, 1976) (इसमें आगे उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) की धारा-2 के खंड-(त) को निम्नलिखित द्वारा अन्तःस्थापित किया जायेगा:-
“(त) “आयोग” से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग।”
3. **बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा-57 का संशोधन।—**उक्त अधिनियम की धारा-57 में निम्नलिखित संशोधन किए जायेंगे, यथा :-
(क) विद्यमान खण्ड (i) के पहले शीर्षक सहित नई उप-धारा (1) अन्तःस्थापित की जायेगी, यथा:-
“57. विश्वविद्यालय तथा उसके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति।
(1) (i) इस अधिनियम और परिनियमों में निहित प्रावधानों के अधीन रहते हुए आयोग विश्वविद्यालय के शिक्षकों के स्वीकृत पदों पर नियुक्ति के संबंध में यथासंभव उन्हीं कृत्यों का पालन करेगा, जो उसे राज्य सेवाओं के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 द्वारा सुपुर्द किये गये हैं।
(ii) राज्य सरकार की अनुशंसा पर आयोग विश्वविद्यालय एवं उसके अधीनस्थ अंगीभूत/संबद्ध महाविद्यालयों में शिक्षक (सहायक प्राचार्य) के पदों पर नियुक्ति हेतु पात्रता परीक्षा का आयोजन कर सकेगा, जिसे राज्य पात्रता परीक्षा (स्टेट इलिजिविलिटी टेस्ट) कहा जा सकेगा। इस निमित्त आयोग केवल वैसे अभ्यर्थियों से विषयवार आवेदन आमंत्रित करेगा, जिन्हें यू0जी0सी0 के विनियम 2010 में अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर विहित अर्हतायें प्राप्त हो;
परन्तु आयोग ऐसी परीक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बनाई गई विनियम के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेश के अधीन संचालित करेगी।
(iii) आयोग प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय एवं उसके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षक (सहायक प्राचार्य) के पदों पर नियुक्ति हेतु केवल वैसे अभ्यर्थियों से विषयवार आवेदन आमंत्रित करेगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/कौंसिल फौर साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रीयल रिसर्च द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता/राज्य पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लिये हो एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2010 द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हतायें अथवा समय-समय पर विहित अर्हताएँ प्राप्त हों;
परन्तु ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एम0फिल/पी0एच0डी0 उपाधि के लिए गठित न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया विनियम 2009 के आधार पर पी0एच0डी0 डिग्री प्राप्त कर लिया है, को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा से उत्तीर्णता प्राप्त करने की छूट होगी।

- (iv) विषयवार रिक्तियाँ अगले पंचांग वर्ष की अनुमानित रिक्तियों सहित आरक्षण रोस्टर के साथ प्रत्येक वर्ष की इक्तीसवीं दिसम्बर तक विश्वविद्यालय द्वारा आयोग को भेजी जायेगी।
- (v) विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से स्वीकृत तथा संसूचित शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति आयोग की अनुशंसा अनुसार ही करेगा और शिक्षकों के पदों पर विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी नियुक्ति आयोग की अनुशंसा के बिना नहीं की जायेगी। विश्वविद्यालय के शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए आशयकतानुसार की जाने वाली अनुशंसा में आयोग इसमें अंतर्विष्ट शर्तों का पालन करेगा।
- (vi) खण्ड (iii) के अधीन आवेदित आवेदकों की अन्तर्वीक्षा के आधार पर आयोग विश्वविद्यालय द्वारा संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिये विषयवार मेधा सूची तैयार करेगा, और ऐसी सूची इसके अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष तक के लिये विधिमान्य होगी। विषयवार सूची में रिक्तियों के दोगुणा नाम योग्यता क्रम में रखे जायेंगे, किन्तु आयोग एक रिक्ति के विरुद्ध केवल एक ही नाम नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय को एक समय में भेजेगा;
- परन्तु, यह कि आयोग मेधा सूची तथा अधिमानक्रम से राज्य में नियुक्तियों में आरक्षण विषयक लागू विधि के अनुरूप विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गये आरक्षण रोस्टर के आधार पर विश्वविद्यालय को नाम अनुशंसित करेगा। इस अधिनियम, परिनियम के उपबंधों में कोई प्रतिकूल बात के होते हुए भी बिहार राज्य में प्रभावी आरक्षण नीति सभी नियुक्तियों पर लागू होगी।
- (vii) आयोग की समस्त कार्यवाहियाँ, बैठक का कार्यवृत्त, योग्यता के आधार पर अभ्यर्थियों की सूची सहित प्रतिदिन के आधार पर पूरी कर ली जायेगी। योग्यता सूची से संबंधित अभिलेख आयोग द्वारा हस्ताक्षरित होंगे तथा संबंधित विषय की योग्यता सूची को उस विषय के अन्तर्वीक्षा की अंतिम तिथि को ही अंतिम रूप दे दी जायेगी।
- (viii) आयोग द्वारा तैयार की गयी मेधा सूची निर्गत तिथि से एक वर्ष तक के लिए विधिमान्य होगी। नियुक्ति करते समय, विश्वविद्यालय द्वारा खण्ड (vi) के अधीन आयोग की अनुशंसा प्राप्त होने की तारीख से छः महीनों के भीतर, आयोग द्वारा दी गयी अनुशंसा के अनुसार विश्वविद्यालय नियुक्ति करेगी।
- (ix) विश्वविद्यालय तथा अंगीभूत महाविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति, सेवामुक्ति, हटाया जाना, सेवा समाप्ति या पदावनति के संबंध में आयोग के परामर्श से विहित रीति से कार्यवाई करेगी।
- (x) विश्वविद्यालय विभागों तथा अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिए बोर्ड का गठन यू0जी0सी0 द्वारा समय-समय पर परिचालित विनियमों में निहित प्रावधानों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा संसूचित निदेशों के आलोक में आयोग द्वारा किया जायेगा;
- परन्तु नियुक्ति की अनुशंसा करने के लिए आयोजित बोर्ड की बैठकों में संबंधित विषय के कम-से-कम तीन विशेषज्ञ उपस्थित रहेंगे।
- (ख) वर्तमान खण्ड (i) के पूर्व कोष्ठक और अंक यथा उप-धारा “(2)” जोड़ी जायेगी तथा उसमें जहाँ-जहाँ शब्द “शिक्षक” आया है को शब्द “प्रधानाचार्य” से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
4. **बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा-57क का प्रतिस्थापना।**—उक्त अधिनियम में धारा-57क निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायगा, यथा :-
- “57क. परिनियम द्वारा विहित की जाने वाली प्रक्रिया :—**(1) इस अधिनियम और इसके अधीन बने परिनियमों के उपबंधों के अध्याधीन सम्बद्ध महाविद्यालयों में, जो राज्य सरकार द्वारा शासित अथवा विश्वविद्यालय द्वारा पोषित नहीं हो, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए संबंधित महाविद्यालय के शासी निकाय द्वारा ऐसे उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, जो इस अधिनियम की धारा-57(1) का खण्ड (iii) में विहित अर्हता को पूरा करते हों। इस अधिनियम की धारा-57ख में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा गठित चयन समिति के द्वारा चयन की कार्यवाई की जायेगी।
- (2) चयन समिति द्वारा उपर्युक्त अर्हता धारित अभ्यर्थियों की अन्तर्वीक्षा के आधार पर की जाने वाली अनुशंसा में आरक्षण विषयक लागू नियमों का पालन किया जायेगा।

- (3) चयन समिति द्वारा की गयी अनुशांसाएँ, अनुशांसा की तिथि से एक वर्ष तक के लिए विधिमान्य होगी। चयन समिति की अनुशांसा प्राप्त होने की तारीख से छः महीनों के भीतर महाविद्यालय प्रशासन द्वारा चयन समिति के द्वारा दिये गये अधिमानता क्रम के अनुसार नियुक्ति/प्रोन्नति की कार्रवाई की जाएगी।
- (4) सम्बद्ध महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति, प्रोन्नति, सेवामुक्ति, हटाय जाना, सेवा समाप्ति या पदावनति के संबंध में उपर्युक्त चयन समिति से परामर्श लेकर विहित रीति से कार्रवाई करेंगे।
- (5) धर्म एवं भाषा के आधार पर सम्बद्धता प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के शासी निकायों द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा गठित चयन समिति के अनुमोदन से शिक्षकों की नियुक्ति, प्रोन्नति, बर्खास्त, हटाना अथवा सेवा समाप्त एवं उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जा सकेगा;

परन्तु जहाँ किसी शिक्षक के विरुद्ध मात्र परिनिन्दा, वेतन वृद्धि की रोक या आरोपों के अन्वेषण तक निलंबन आदेश अन्तर्गस्त हो, तो वैसी स्थिति में चयन समिति का परामर्श आवश्यक नहीं होगा।”

5. **बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा-57ख, का प्रतिस्थापन।**—उक्त अधिनियम की धारा-57ख को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा :-

“57ख चयन समिति का गठन :— (1) सम्बद्ध महाविद्यालयों में सहायक प्राचार्य, प्रधानाचार्य के पदों पर नियुक्ति के लिए चयन समिति का गठन विश्वविद्यालय स्तर से निम्नलिखित रूप से किया जायेगा, यथा:-

- (i) इस चयन समिति का अध्यक्ष, महाविद्यालय के शासी निकाय का अध्यक्ष अथवा शासी निकाय द्वारा नामित व्यक्ति, जो उनके सदस्यों में होगा- वही चयन समिति का अध्यक्ष होगा;
- (ii) महाविद्यालय का प्राधानाचार्य;
- (iii) महाविद्यालय में सम्बद्ध विषय के विभागाध्यक्ष;
- (iv) संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की ओर से नामित तीन विशेषज्ञ जो प्राचार्य से अन्यून श्रेणी के होंगे, जिनमें से दो व्यक्ति विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। ऐसे महाविद्यालय, जिन्हें अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के रूप में अधिसूचित/घोषित कर दिया गया है, उस स्थिति में महाविद्यालय अध्यक्ष की ओर से तीन नामित व्यक्ति, पाँच व्यक्तियों की नामसूची में से होंगे जो अधिमान्यतः अल्पसंख्यक समुदायों से हों, जिन्हें संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा विशेषज्ञों की उस तालिका में से अनुशंसित किया गया हो, जिस तालिका को संबंधित विश्वविद्यालय के विद्वत परिषद् द्वारा प्रस्तावित किया गया हो तथा जिनमें से तीन व्यक्ति विषय विशेषज्ञ हों;
- (v) महाविद्यालय के शासी निकाय के द्वारा ऐसे दो विषय-विशेषज्ञों को नामित किया जा सकेगा जो उस महाविद्यालय से जुड़े हुए नहीं हों, और जिन व्यक्तियों को कुलपति द्वारा, विषय-विशेषज्ञों की उस सूची में से अनुशंसित किया गया हो, जिस सूची को सम्बद्ध विश्वविद्यालय के विद्वत परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया हो।
- (vi) विश्वविद्यालय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक /महिलाएँ/पृथक तौर से शारीरिक विकलांग श्रेणियों का आवेदक रहने एवं उस श्रेणी का सदस्य चयन समिति में उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में विश्वविद्यालय, जो उस कोटि का एक अकादमिशियन होगा, को नामित करेगी।
- (vii) चयन समिति की बैठक में पाँच सदस्यों, जिनमें से तीन विषय-विशेषज्ञ होंगे, की उपस्थिति से गणपूर्ति (कोरम) होगी।”

6. **बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा-58 का प्रतिस्थापन ।**—उक्त अधिनियम की धारा-58 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :-

“58. **चयन प्रक्रिया का अनुपालन ।**—इस अधिनियम, परिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किसी प्रावधान के होते हुए भी, इस अधिनियम की धारा-57(i) एवं 57ख के अधीन गठित चयन समिति इस अधिनियम के अधीन विहित प्रक्रिया के अधीन कार्य करने के लिए बाध्य होगा।”

7. **व्यावृत्ति ।**—अधिनियम की धारा-57क एवं 57ख के प्रतिस्थापन के होते हुए भी, पूर्व में किया गया कुछ भी या विनिश्चय और की गई कार्रवाई विधि पूर्ण किया गया समझा जायेगा या समझी जायेगी

और अधिनियम की धारा-57क एवं 57ख के प्रतिस्थापन या विलोपन के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जायेगा या की जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के संयुक्त सचिव।

14 अगस्त 2013

सं० एल०जी०-1-4/2013/158/लेजः।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2013 को अनुमत बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के संयुक्त सचिव।

Bihar State University (Amendment) Act, 2013
[Bihar Act 17, 2013]

AN
ACT

To amend Bihar State University Act, 1976 (Bihar Act 23, 1976)

Preamble: Whereas, in the interest of the education in the State it is most expedient to make the entire provisions of the appointment to the posts of teachers in the Universities and Colleges of the Bihar State in conformity with the prescribed standards of University Grants Commission;

And, whereas, it is essential to make appointments to the posts of teachers in the Universities of the State by making the provisions of the appointment of teachers in the Bihar State University Act, 1976 in conformity with the provisions laid down in the various regulations issued by the University Grants Commission.

Hence, it is necessary to amend the Act as per the regulations issued by the University Grants Commission.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixty fourth year of the Republic of India as follows:-

1. **Short title and Commencement.**—This Act may be called The Bihar State University (Amendment) Act, 2013.
(2) It shall come into force at once.
2. **Amendment in section-2 of Bihar Act, 23, 1976.**—In the Bihar State University Act, 1976 (Bihar Act 23, 1976) (hereinafter referred to as the said Act) in section-2 clause (p) shall be inserted by the following; namely:-
“(p) ‘Commission’ means Bihar Public Service Commission.”
3. **Amendment in Section 57 of Bihar Act 23, 1976.**—In the said Act Section-57 shall be amended as follows , namely:-
(a) before the existing clause (i) including heading following new sub section (1) shall be inserted; namely:-
“57 Appointment to the post of teachers in Universities and their constituent Colleges.
(1) (i) Subject to the provision mentioned in this Act and Statutes as far as possible the Commission shall perform the same function in respect of the appointments to the sanctioned posts of the teachers of Universities as are assigned to it by Article 320 of the Constitution of India in relation to the State Service.

- (ii) The Commission on the recommendation of the State Government may organise an eligibility test to be called "State Eligibility Test" for appointment to the posts of Teacher (Assistant Professor) in the Universities and Constituent/Affiliated colleges under them. In this behalf, Commission shall invite subjectwise applications only from such candidates who have obtained the qualifications prescribed in the UGC Regulations, 2010 or as may be prescribed by the University Grants Commission from time to time;
- Provided that, such test shall be conducted by the Commission in the light of the order issued by the State Government in conformity with the Regulations made by the University Grants Commission.
- (iii) Every year the Commission shall invite subject wise applications for appointment to the posts of Teacher (Assistant Professor) in the Universities and their constituent College only from such candidates who have passed the National Eligibility Test Conducted by the University Grants Commission/Council for Scientific and Industrial Research/State Eligibility Test and obtained minimum qualifications prescribed by the University Grants Commission Regulations, 2010 or as may be prescribed from time to time;
- Provided that, the candidates who have obtained Ph.D. Degree on the basis of Minimum Standard and Procedure Regulation, 2009 framed by the University Grants Commission for M.Phil/Ph.D Degree, shall be exempted from passing the National Eligibility Test.
- (iv) The subject wise vacancies including the presumed vacancies of the next calendar year alongwith the Reservation roster shall be forwarded to the Commission by the Universities upto thirty first December every year.
- (v) The University shall make appointments to the posts of Teacher, duly sanctioned and communicated by the State Government, only on the recommendation of the Commission and no appointment to the post of teachers shall be made by the University without the recommendation of the Commission. Commission shall comply with the conditions laid down in this Section for making recommendations for appointment to the posts of teachers of the University according to their need.
- (vi) The commission shall prepare a subjectwise merit list against the vacancies communicated by the University on the basis of the interview from among the candidates applied for under clause (iii). The subject wise list shall contain the names of the candidate in order of merit double in number of the vacancies, however the commission shall forward only one name at a time to the University for appointment against vacancy;
- Provided that, the commission shall recommend the names to the University in order of merit and on the basis of reservation roster sent by the University in conformity with the laws applicable to reservation in appointments in the State. Notwithstanding anything contrary to provision of this Act, Statute, the reservation policy prevalent in the Bihar State shall be applicable to all the appointments.
- (vii) All the proceeding of the Commission shall be completed on daily-basis itself, which includes minutes of the meeting, the list of the candidates on the basis of merit. The records pertaining to the merit list shall be signed by the commission and the merit list of subject concerned shall be finalized on the last day of the interview of that subject.
- (viii) The merit list prepared by the Commission shall be valid for one year from the date of its issue. On receipt of the recommendations of the Commission under

clause (vi) the University shall make appointments per the recommendations of the commission within six months from the date of its receipt.

- (ix) In respect of appointment, dismissal, removal, termination of service or demotion of teacher of the University and Constituent College, the University shall take action in consultation with the Commission in prescribed manner.
- (x) The Board for selection of candidates for appointments to the posts of teachers of the University Departments and constituent Colleges shall be constituted by the commission in view of the directions communicated by the State Government in conformity with the provisions prescribed in the regulations and circulated by the U.G.C. from time to time;

Provided that at least three experts of the subjects concerned shall attend the meeting of Board organised for making recommendations for appointment.

- (b) Before existing clause (i) bracket and number as sub-section “(2)” shall be added and the word “teachers” wherever occurred in this sub-section shall be substituted by the word “Principal”.

4. **Substitution of Section 57 A of the Bihar Act 23, 1976.**—In the said Act section 57 A shall be substituted by the following, namely:-

“57 A-Procedure of selection to be prescribed by the statute- (1) Subject to the provisions of this Act and Statutes made thereunder, for appointment of teachers in such affiliated Colleges, which are not governed by the State Government or not funded by the Universities, the applications from the candidate fulfilling the qualifications prescribed under clause (iii) of subsection (1) of section 57 of this Act shall be invited by the Governing Body of the College concerned. The selection shall be processed by the Selection Committee constituted by the University under the provisions contained in section 57B of this Act.

- (2) In making recommendations on the basis of interview of the candidates holding the above mentioned qualifications the rules or reservation shall be adhered by the Selection Committee.
- (3) The recommendation made by the Selection Committee shall remain valid for one year from the date of the recommendation. Within six months from the date of recommendation of the Selection Committee; the College administration shall process the appointment/promotion in order of preference laid down by the Selection Committee.
- (4) With regard to the appointment, promotion, dismissal, discharge, removal from service and termination of service or demotion of teachers in affiliated Colleges, the action shall be taken in the manner prescribed after making consultation with the above mentioned Selection Committee.
- (5) The appointments, promotions, dismissal, removal and termination of service of teachers in the minority colleges affiliated on the basis of religion and language may be made and disciplinary action against them shall be taken by the governing body of those colleges with with the approval of the Selection Committee constituted by the University;

Provided that, where the order concerned is limited to only ensure, withholding increment, against a teacher or his/her suspension till the investigation of charges, in such cases the consultation with the Selection Committee shall not be necessary.

5. **Substitution of Section 57 B of the Bihar Act 23, 1976.**—In the said Act Section 57 B shall be substituted by the following: namely:-

“57 B. Constitution of Selection Committee.

- (1) The Selection Committee for appointment to the posts of Assistant Professor, Principal in affiliated colleges shall be constituted by the University as follows:-
- (i) The Chairman of the governing body of the college or the person nominated by the governing body, who being one of its members, shall be the Chairman of the Selection Committee.
- (ii) Principal of the College.
- (iii) Head of the department of the faculty concerned in the College.
- (iv) Three experts, not below the rank of professor and two out of them should be experts of the subject, shall be nominated by the Vice-chancellor of the concerned University. In case of such colleges, which have been notified/declared as minority educational institution, three persons nominated on behalf of the Chairman of the College who shall be from the list of five persons preferably from the minority community and who have been recommended by the Vice-Chancellor of the University concerned from the panel of experts proposed by the Academic Council of the University concerned and three persons out of them should be subject experts.
- (v) The Governing body of the College may nominate two such subject experts who are not connected with that college and those persons have been recommended by the Vice-Chancellor out of the panel of Subject Experts approved by the Academic Council of the University Concerned.
- (vi) An academician representing SC/ST/OBC/Minority/Women/Differently-abled categories, if any of candidates representing these categories it the applicant, to be nominated by the Vice-Chancellor, if any of the above members of the selection committee do not belong to that category.
- (vii) presence of five members of the Selection Committee, which shall include three subject experts, shall form the quorum for the meeting or the Selection Committee.
6. **Amendment in Section 58 of the Bihar Act 23, 1976:**—In the said Act Section-58 shall be substituted by the following; namely:-
“58. Implementation of Selection Procedure:- Notwithstanding any thing contained in any provisions of this Act, Statute or any other laws for the time being in force, the Selection Committee constituted under section 57(i) and 57B shall be bound to follow the procedure under this Act.”
7. **Saving-**Notwithstanding the substitution of section 57A and 57 B of this Act, anything done or decision or action taken prior to it shall be deemed to have been validly done or taken and shall not be question on the ground or the substitution or deletion of Section 57A and 57 B.

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
 उज्ज्वल कुमार दुबे,
 सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
 बिहार गजट (असाधारण) 658-571+400-डी0टी0पी0।
 Website: <http://egazette.bih.nic.in>



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 भाद्र 1937 (श0)

(सं0 पटना 971) पटना, वृहस्पतिवार, 27 अगस्त 2015

fof/k foHkkx

vf/kl ipuk, a
27 अगस्त 2015

सं० एल०जी०-1-16/2015/लेज: 126—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 24 अगस्त 2015 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है :-

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
eukst dękj,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2015

[बिहार अधिनियम 16,2015]

बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 23, 1976) का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

प्रस्तावना :- चूँकि, राज्य सरकार ने संकल्प संख्या 1846 दिनांक 21.11.2008 के द्वारा वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करने तथा डिग्री महाविद्यालय सहित संस्थानों को अनुदान देने का निर्णय लिया है। कालान्तर में संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों के शिक्षकों के बीच अनुदान राशि के वितरण के क्रम में ऐसा देखा गया है कि उक्त कोटि के महाविद्यालयों में लंबी अवधि से कार्यरत अनेक शिक्षकों की नियुक्ति शासी निकाय द्वारा की गई थी। हालांकि, कतिपय कारणों से उक्त कोटि के शिक्षकों के मामले में तत्कालीन बिहार कॉलेज सेवा आयोग की अनुशंसा प्राप्त नहीं की गई थी,

और, चूँकि, तत्कालीन बिहार कॉलेज सेवा आयोग अस्तित्व में नहीं है एवं बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 23, 1976) यथा अद्यतन संशोधित में संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के निमित्त महाविद्यालय स्तर पर अनुशंसा देने हेतु एक नई संस्था यथा "चयन समिति" का प्रावधान किया गया है,

चूँकि, अधिनियम के प्रावधानों को एक बार के लिए शिथिल किये बगैर, चयन समिति के लिए व्यक्तिवार मामलों की समीक्षा करना व्यावहारिक रूप में संभव नहीं है,

चूँकि, लोकहित में चयन समिति को बिहार कॉलेज सेवा आयोग की अनुशंसा के बगैर सभी कार्यरत शिक्षकों के मामले की जाँच करने हेतु सशक्तिकरण के लिए प्रावधान करना आवश्यक है।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।—(1) यह अधिनियम बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा 57 क में संशोधन— (बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा 57 क की उपधारा—(5) के बाद निम्नलिखित नई उपधारा—(6) जोड़ी जाएगी :-

“(6) इस अधिनियम के अधीन रहते हुए, चयन समिति, संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों में दिनांक 19.04.2007 के पूर्व बिहार कॉलेज सेवा आयोग की अनुशंसा के बगैर नियुक्त शिक्षकों के मामले की समीक्षा, ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति के समय लागू अर्हता के आधार पर दिनांक 31.03.2017 तक पूरी कर लेगी, अन्यथा ऐसी नियुक्तियाँ वैध नहीं मानी जायेंगी। तत्पश्चात् महाविद्यालय की शासी निकाय चयन समिति द्वारा अनुशंसित नामों को स्वीकार करेगी, जिसे संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाएगा।

दिनांक 31.03.2017 तक राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान की राशि का वितरण, संबंधित संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के बीच, उनकी शासी निकाय द्वारा किया जायेगा।”

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

eukst dækj,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

27 अगस्त 2015

सं० एल०जी०—1-16/2015/लेज: 127—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 24 अगस्त 2015 को अनुमत बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2015 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद—348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

eukst dækj

सरकार के संयुक्त सचिव ।

The Bihar State Universities (Amendment) Act, 2015

[Bihar Act 16,2015]

AN

ACT

To Amend the Bihar State Universities Act, 1976

(Bihar Act 23, 1976)

Preamble:-Whereas, the State Government has taken a policy decision to abolish the Vitta Rahit Shiksha Niti and to provide grants to the institutions including degree colleges vide resolution no. 1846, dated 21.11.2008. In course of distribution of grants amongst the teachers of the affiliated

degree colleges, it has been noticed that many of the teachers working in such colleges for long duration were appointed by the Governing body of the colleges. However, erstwhile Bihar College Service Commission's recommendation in respect of them was not obtained for various reasons;

And, whereas, since erstwhile Bihar College Service Commission has ceased to exist and a new body namely Selection Committee at college level has been introduced for making recommendation with regard to the appointment of teachers of the affiliated degree colleges under the Bihar State Universities Act, 1976 (Bihar Act 23, 1976) as amended from time to time;

Whereas, it is practically not possible for the Selection Committee to scrutinise individual cases unless one time relaxation is permitted.

Whereas, it is necessary in public interest to provide for empowerment to the Selection Committee to scrutinise the cases of all those working teachers appointed without the recommendation of the Bihar College Service Commission.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixty sixth year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement.— (1) This Act may be called The Bihar State Universities (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. Amendment in Section 57A of the Bihar Act 23, 1976.— In the Bihar State Universities Act, 1976 (Bihar Act 23, 1976), the following new sub-section (6) shall be added after sub-section (5) of Section 57A of Bihar Act 23 of 1976 :-

“(6) The Selection Committee, subject to this Act, will complete the scrutiny of the cases of the teachers of affiliated degree colleges appointed prior to 19.04.2007, without the recommendation of the Bihar College Service Commission on the basis of qualifications in force at the time of appointment of such teachers upto 31.03.2017, otherwise such appointments will not be treated valid. Thereafter the Governing Body of the college will accept the names recommended by the Selection Committee, which shall be finally approved by the concerned University.

Distribution of the amount of grant sanctioned by the State Government will be made amongst the teachers in the concerned affiliated degree colleges by its Governing Body upto 31.03.2017.”

By order of the Governor of Bihar,
 MANOJ KUMAR,
 Joint Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
 बिहार गजट (असाधारण) 971-571+10-डी0टी0पी0।
 Website: <http://egazette.bih.nic.in>